



GOVERNMENT OF INDIA  
 MINISTRY OF FINANCE,  
 DEPARTMENT OF REVENUE  
 OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX-II  
 15/203-A, "Panchsheel Building", Civil Lines, Kanpur - 208 001  
 PHONE: 0512-2308726, 2331544; FAX: 512-2331995, 2330237

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-क (1) से अर्जित विवेक हेतु आदेश  
 दिनांक 25.05.2012

पत्रिका का नाम: इलाहाबाद काउन्सिलर्स, प्रायोजित, पीठ बरगड, जलपाव - विजयपुर (उ० प्र०)

दिनांक 15.07.2012 से प्रारम्भ हुए वित्त वर्ष 2012-13 के आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-क से अर्जित विवेक कार्य में संशोधन हेतु आदेश पर दिनांक 25.04.2012 को वाचिल किया है। व्यापक/संस्था का विवेक आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-क (1) से अर्जित किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि कार्यालय में लगे गये धारा 12-क (1) से आदेश रजिस्टार में क्रम संख्या 306 पर की गयी है।

इलाहा  
 (पीठ पीठ सिंह)  
 आयकर आयुक्त - द्वितीय  
 कानपुर

पत्रिका संख्या- 11/काप/क०/12-क (1)/306/2012-13/342 दिनांक 25.05.2012

प्रतिलिपि-

1. व्यापक/संस्था, इलाहाबाद काउन्सिलर्स, प्रायोजित, पीठ बरगड, जलपाव-विजयपुर उ० प्र० को सूचना यह बताने कि व्यापक/संस्था आयकर दाता की सूची में है ?
2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-क (1) से अर्जित विवेक कार्य में संशोधन हेतु आदेश पर लगे गये विवेक/संस्था पर लगे गये विवेक आदि आवश्यक कार्रवाई की जाये।
3. अलग आयकर आयुक्त, कानपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



( पीठ एन अवस्थी )  
 आयकर अधिकारी (राजकीय)  
 कानपुर आयकर आयुक्त-द्वितीय कानपुर